**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2276**

**06 दिसम्बर, 2016 को उत्तर के लिए**

**रक्षा सामग्री खरीदने की प्रक्रिया**

**2276. श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रक्षा सामग्री खरीद की क्या प्रक्रिया है ;

(ख) क्या इन्हें रक्षा खरीद प्रक्रिया अथवा रक्षा खरीद नियमावली के माध्यम से खरीदा जाता है ;

(ग) क्या रक्षा सामग्री खरीदने के लिए कोई निविदा आमंत्रित की जाती है, यदि नहीं, तो यह सामग्री प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा रक्षा सामग्री की की गई खरीद का ब्यौरा क्या है; और इन्हें किस-किस कंपनी से खरीदा गया था ?

**उत्तर  
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (घ): पूंजीगत अधिग्रहण रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) के अंतर्गत किए जाते हैं जबकि राजस्व बजट से व्यय वाली अधिप्राप्तियां रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डीपीएम) के अंतर्गत की जाती हैं । अधिप्राप्तियां खुली निविदा तथा सीमित निविदा दोनों के आधार पर और डीपीपी अथवा डीपीएम के अंतर्गत यथा-उपबंधित आधार पर की जाती हैं ।

पिछले दो वर्षों अर्थात 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान, भारतीय के साथ-साथ विदेशी विक्रेताओं के साथ 1,12,736.81 करोड़ रुपए मूल्य की 108 पूंजीगत अधिप्राप्ति संविदाएं की गई हैं ।

\*\*\*